



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक / 2012 जिला-रायसेन — R. 1975-4112

गजेन्द्र सिंह आत्मज दिलीप सिंह कुर्मा,
निवासी— ढोलखेड़ी तहसील व जिला विदिशा
वर्तमान निवासी— इन्द्रा कॉम्प्लेक्स नये बस
स्टेण्ड के पीछे विदिशा (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- ✓ 1— बदीप्रसाद पठया आत्मज बिहारीलाल,
- ✓ 2— लक्ष्मण सिंह आत्मज बिहारीलाल,
- ✓ 3— प्रकाश सिंह आत्मज आत्मज बिहारीलाल,
निवासीगण— पड़रियांगंज तहसील गैरतगंज,
जिला—रायसेन (म.प्र.)
- ✓ 4— ईश्वरीबाई पुत्री बिहारीलाल, निवासी— भैसा
तहसील राहतगढ़ जिला—सागर (म.प्र.)
- ✓ 5— सुशीलाबाई पत्नी रामकिशन, निवासी— सलैया
तहसील सिलवानी, जिला—सागर (म.प्र.)
- 6— निवोद बाई पत्नी रतन सिंह, निवासी— रीछई
जिला—सागर (म.प्र.)
- ✓ 7— महेन्द्र आत्मज रामनारायण,
- ✓ 8— वीरेन्द्र सिंह आत्मज रामनारायण,
निवासीगण— खेरी तहसील वैगमगंज,
जिला—रायसेन (म.प्र.)
- ✓ 9— जितेन्द्र आत्मज रामनारायण, निवासी— खेरी
तहसील वैगमगंज, जिला—रायसेन (म.प्र.)
- 10— शांतिबाई पत्नी राम सिंह कुर्मा, निवासी— ग्राम
बट्टावाधा तहसील राहतगढ़ जिला—सागर
- 11— देवेन्द्र सिंह आत्मज दिलीप सिंह कुर्मा,
निवासी— ढोलखेड़ी तहसील व जिला विदिशा
वर्तमान निवासी— एच.आई.जी. 80 इन्द्रा
कॉम्प्लेक्स नये बस स्टेण्ड के पीछे विदिशा
(म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविमागीय अधिकारी, गैरतगंज, जिला—रायसेन द्वारा
प्रकरण क्रमांक 20/10-11 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक
25.05.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा 50
के अधीन पुनरीक्षण।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1975-दो/12

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 से 3 एवं 7 से 9 की ओर से श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । आपत्तिकर्ता की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु पूर्व में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।</p> <p> </p>	